ब–अदालत, अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

आर0ई0आर0 केस नं0–22/18–19

मनोज हांसदा बनाम् मुन्ना हांसदा वगै0

02.02.2024

–:आदेश:–

वर्त्तमान वाद की प्रकिया आवेदक मनोज हांसदा, पे0–भगन हांसदा, सा0–बांसभीठा, थाना–बोआरीजोर, अंचल–बोआरीजोर, जिला–गोड्डा के आवेदन पर मौजा–बांसभीठा नं0–61, जमाबंदी नं0–20, दाग नं0–180 के अंदर रकवा– 00–04–05 धूर भूमि से विपक्षीगण मुन्ना हांसदा, पे0–स्व0 निर्मल कुमार हांसदा, संजू हांसदा, पे0–बुदय हांसदा, सा0–बांसभीठा, थाना–बोआरीजोर, अंचल–बोआरीजोर, जिला–गोड्डा को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–20 एवं 42 के तहत् उच्छेद करने हेतु प्रारंभ किया गया है। तद्नुसार अंचल अधिकारी, बोआरीजोर से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई। उभय पक्ष द्वारा निर्गत नोटिस के विरूद्ध न्यायालय में उपस्थित होकर अपना कागजात दाखिल किया गया।

अंचल अधिकारी, बोआरीजोर द्वारा पत्रांक–336/रा0, दिनांक–02.05.2022 से जांचोपरांत प्रतिवेदित कियां गया है कि प्रासंगिक जमाबंदी की भूमि गत सर्वे खतियान में जमाबंदी रैयत भगन हांसदा व तुरसा हांसदा, पे0–चैतन हांसदा व तुरसा हांसदा वल्द फुचु हांसदा, कौम–संताल कहकर दर्ज है। आवेदक जमाबंदी रैयत भगन हांसदा के परपौत्र हैं तथा विपक्षीगण का जमाबंदी रैयत से कोई संबंध नहीं है, वे पूर्णतः बाहरी व्यक्ति हैं। आवेदक द्वारा दाखिल मकान किराया निर्धारण वाद सं0–04/96 निर्मल कु0 हांसदा बनाम जिला कल्याण पदाधिकारी, गोड्डा एवं WP9(c) नं0–1110/2012 में पारित आदेश से स्पष्ट किया गया है कि विपक्षीगण बाहरी व्यक्ति हैं तथा जमाबंदी रैयत उत्तराधिकारी को मकान किराया भुगतान करने हेतु आदेशित किया गया है। विपक्षीगण का प्रासंगिक भूमि पर अनाधिकृत कब्जा है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने, अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजात के अवलोकनोपरांत पाया कि प्रासंगिक भूमि पर विपक्षीगण का अवैध दखल कब्जा है। अतः संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–20 एवं 42 के तहत् विपक्षी को प्रासंगिक भूमि से उच्छेद किया जाता है। तद्नुसार अंचल अधिकारी, बोआरीजोर को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

Digitally signed by RAJIV KUMAR
Date: 2024.02.20 15:59:31 +05:30
Location: 192.168.1.46

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।